

4/11/2024

प्रो ६७

पत्रावली वकील प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी  
 के प्राप्ति पर सिंगल से लख की गई  
 प्रकरण में प्रार्थी ने एक प्राप्ति प्रारंभ  
 कर निवेदन किया कि उक्त प्राप्ति में  
 प्रार्थी एवं पिपडीगण के मध्य आपसी  
 शरीनादा हो जाने से प्रार्थी उक्त प्राप्ति  
 में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते  
 का निवेदन का प्राप्ति की कार्यवाही  
 इसी तरह पर समाप्त होने का  
 निवेदन किया प्रार्थी द्वारा प्रारंभ प्राप्ति  
 का भयलोकन किया, बरदा का मतन किया  
 पत्रावली पर उपलब्ध उक्त निवेदन का भयलोकन  
 किया, प्रकरण में प्रार्थी द्वारा स्वयं को  
 कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं प्रार्थी के  
 प्राप्ति की कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त  
 कि आली के प्रकरण में पुनः प्रार्थी

एक पत्रावली भव्य निवेदन दिनांक 31/01/22  
 का स्वर निरूत माना जाय। पत्रावली  
 का लख श्रुत होकर उक्त नम्बर से कम हो।

सपखण्ड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेड